



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082024-256717
CG-DL-E-29082024-256717

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 28, 2024/भाद्र 6, 1946

No. 223]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 28, 2024/BHADRA 6, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

शुद्धिपत्र अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2024

मामला सं. एडी (ओआई)- 08/2024

विषय: चीन जन.गण. और ताईवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

फा. संख्या 6/09/2024.--डीजीटीआर समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और सीमा शुल्क टैरिफ (डंप की गई वस्तुओं पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह और चोट के निर्धारण के लिए) नियम, 1995, को ध्यान में रखते हुए, नामित प्राधिकारी इसके द्वारा अधिसूचना संख्या 6/09/2024-डीजीटीआर दिनांक 29 मार्च 2024 द्वारा जारी की गई प्रारंभिक अधिसूचना में निम्नलिखित सुधार करता है विषय उत्पाद " प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों" पर शुरू की गई पाटनरोधी जांच का सम्मान।

में अनुच्छेद 5 उक्त अधिसूचना के खंड को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"5. विषय वस्तुओं को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 84 के तहत उप-शीर्षक 84771000 और 84779000 के तहत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)
CORRIGENDUM NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2024

Case No- AD (OI) 08/2024

Subject: Initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of 'Plastic Processing Machines' originating in or exported from China PR and Taiwan.

F. No. 6/09/2024.--DGTR Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, thereof, the Designated Authority hereby makes the following correction in the initiation notification issued vide Notification No. 6/09/2024-DGTR dated 29th March 2024 in respect of the anti-dumping investigation initiated on subject product "Plastic Processing Machines".

In **paragraph 5** of the said notification shall be substituted as below :

"5. The subject goods are classified under Chapter 84 of the Customs Tariff Act, 1975 under the sub-heading 84771000 and 84779000. The Customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration."

ANANT SWARUP, Director General